न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 215/2020

1. महावीर पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. पूर्ण पुत्र गुगन जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।
2. विजयसिंह पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।
3. देवकरण पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।
4. मंजू पूत्री पूर्ण जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।
5. आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 जेएसएल के खाता सं0 238/173 के मु0 न0 145 के किला न0 1 ता 3, 6 ता 25, मु0 न0 146 किला न0 4/1, 5/1, 6, 7/1, 8/1, 13/1, 14/1, 15 ता 17, 18/1, 22/1, 23 ता 25 मु0 न0 149 किला न0 5 कुल 8.905है0 मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही चक 4 जेएसएल के खाता सं0 138/109 के मु0 न0 22 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 48 किला न0 8, 13 ता 18, मु0 न 49 किला न0 11 ता 13, 19 व 20 कुल 4.479है0 मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1के नाम से.1/2 हिस्सा व रोही 3 जेएएसल के खाता सं0 104/76 के मु0 न0 72 किला न0 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 2.277है0 बारानी खातदेारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही [illegible] वादी महावीर व प्रतिवादी सं0 1 पूर्ण प्रतिवादी सं0 2 विजयसिंह, प्रतिवादी सं0 3 देवकरण [illegible] हिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे [illegible] पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.3.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 215/2020

1. महावीर पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. पूर्ण पुत्र गुगन जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।
2. विजयसिंह पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।
3. देवकरण पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।
4. मंजू पुत्री पूर्ण जाति जाट निवासी वेर त0 भादरा।
5. आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा**: वादी**
वकील श्री राममूर्ति ताखर **: प्रतिवादीगण**

दिनांक : 09.03.21

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 5. जेएसएल के खाता सं0 238/173 के मु0 न0 145 के किला न0 1 ता 3, 6 ता 25, मु0 न0 146 किला न0 4/1, 5/1, 6, 7/1, 8/1, 13/1, 14/1, 15 ता 17, 18/1, 22/1, 23 ता 25 मु0 न0 149 किला न0 5 कुल 8.905है0 मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही चक 4 जेएसएल के खाता सं0 138/109 के मु0 न0 22 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 48 किला न0 8, 13 ता 18, मु0 न 49 किला न0 11 ता 13, 19 व 20 कुल 4.479है0 मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही 3 जेएएसल के खाता सं0 104/76 के मु0 न0 72 किला न0 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 2.277है0 बारानी खातदेारी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता गुगन की खातेदारी हुआ करती थी। गुगन से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1. पूर्ण ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल [illegible] सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा [illegible] में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार [illegible] लिहाजा यही बनाए मुताबिक है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादी सं 6 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु महावीर पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी बेर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम 3 जेएसएल खाता सं0 104/76 प्रदर्श 1, जमाबंदी 4 जेएसएल खाता सं0 138/109 संवत 2072–75 प्रदर्श 2, जमाबंदी 5 जेएसएल खाता सं0 238/173 संवत 2073–76 प्रदर्श 3, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग चक 3 जेएसएल खाता सं0 12 प्रदर्श 4, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग चक 5 जेएसएल प्रदर्श 5, जमाबंदी चक 4 जेएसएल खाता सं0 17 प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढीछानी प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने 5 जेएसएल, 4 जेएसएल, 3 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 7 में वारिसप्रमाण पत्र में पूर्ण के तीन पुत्र विजयसिंह, महावीर, देवकरण व एक पुत्री मंजू के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा चक 5 जेएसएल के खाता सं0 238/173 के मु0 न0 145 के किला न0 1 ता 3, 6 ता 25, मु0 न0 146 किला न0 4/1, 5/1, 6, 7/1, 8/1, 13/1, 14/1, 15 ता 17, 18/1, 22/1, 23 ता 25 मु0 न0 149 किला न0 5 कुल 8.905है0 मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही चक 4 जेएसएल के खाता सं0 138/109 के मु0 न0 22 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 48 किला न0 8, 13 ता 18, मु0 न 49 किला न0 11 ता 13, 19 व 20 कुल 4.479है0 मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही 3 जेएएसल के खाता सं0 104/76 के मु0 न0 72 किला न0 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 2.277है0 बारानी खातदोरी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काविल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 जेएसएल के खाता सं0 238/173 के मु0 न0 145 के किला न0 1 ता 3, 6 ता 25, मु0 न0 146 किला न0 4/1, 5/1, 6, 7/1, 8/1, 13/1, 14/1, 15 ता 17, 18/1, 22/1, 23 ता 25 मु0 न0 149 किला न0 5 कुल 8.905है0 मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही चक 4 जेएसएल के खाता सं0 138/109 के मु0 न0 22 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 48 किला न0 8, 13 ता 18, मु0 न 49 किला न0 11 ता 13, 19 व 20 कुल 4.479है0 मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रतिवादी सं0 1के नाम से 1/2 हिस्सा व रोही 3 जेएएसल के खाता सं0 104/76 के मु0 न0 72 किला न0 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 2.277है0 बारानी खातदोरी में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नोहर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी महावीर व प्रतिवादी सं0 1 पूर्ण, प्रतिवादी सं0 2 विजयसिंह, प्रतिवादी सं0 3 देवकरण को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.3.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.01 09:20:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner